पत्रांक–5 / पी० (नई यो०)–19 / 2022.....11(5) योजना/ स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 11-05-2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में ''झारखण्ड स्वास्थ्य प्रहरी'' कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहिया (आशा), सहिया साथी एवं स्वतंत्र साधन सेवी (BTT & STT) को राज्य योजना मद से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने हेतु कुल 1,08,34,65,000 / –(एक अरब आठ करोड़ चौंतीस लाख पैंसठ हजार) रूपये मात्र की लागत पर स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय संकल्प संख्या–127(21) दिनांक–19.09.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में ''झारखण्ड स्वास्थ्य प्रहरी'' कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहिया (आशा), सहिया साथी एवं स्वतंत्र साधन सेवी (BTT & STT) को राज्य योजना मद से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने हेतु कुल 1,08,34,65,000 / –(एक अरब आठ करोड़ चौंतीस लाख पैंसठ हजार) रूपये मात्र की लागत पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त योजना के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहिया (आशा), सहिया साथी एवं स्वतंत्र साधन सेवी (BTT & STT) के वार्षिक कार्य प्रदर्शन के आधार पर राज्य योजना मद से निम्नवत् कॉलम–5 के अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

क्र.	पदनाम	वर्तमान कार्यबल	वर्तमान प्रोत्साहन राशि / मानदेय (NHM द्वारा)	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कार्य के आधार पर अधिकतम	वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना मद से स्वीकृत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि
1	2	3	4	5	6
1	सहिया	ग्रामीण–39964 शहरी–3000	2000 / –प्रति माह	2000 / – प्रति माह	10311.36 लाख
2	सहिया साथी	ग्रामीण–2295 शहरी–125	375 / –प्रतिदिन (प्रत्येक माह अधिकतम 24 दिनों के लिए)	50 / – प्रति दिन	348.42 लाख
3	BTT (प्रखण्ड प्रशिक्षक दल)	ग्रामीण–388 शहरी –44 FP–194 RKSK–73	650 / – प्रतिदिन (प्रत्येक माह अधिकतम 24 दिनों के लिए)	80 / – प्रति दिन	161.05 लाख

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

क्र.	पदनाम	वर्तमान कार्यबल	वर्तमान प्रोत्साहन राशि/मानदेय (NHM द्वारा)	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कार्य के आधार पर अधिकतम	वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना मद से स्वीकृत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि
1	2	3	4	5	6
4	STT (राज्य प्रशिक्षक दल)	48	850/– प्रतिदिन (प्रत्येक माह अधिकतम 24 दिनों के लिए)	100/– प्रति दिन	13.82 लाख
				कुल	**10834.65 लाख**

3. योजना का कार्यान्वयन अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जाएगा।

4. उक्त योजना अन्तर्गत अनुमान्य प्रोत्साहन राशि ससमय ग्रामीण स्तरीय सहिया (आशा), सहिया साथी एवं स्वतंत्र साधन सेवी (BTT & STT) को सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।

5. इस योजना पर व्यय होने वाली राशि का वहन निम्नांकित बजट शीर्षों के अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से किया जाएगा:–

क्र०	बजट शीर्ष
1	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–001–निदेशन और प्रशासन–94–पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रिंट, प्रचार, संगोष्ठी, कार्यशाला इत्यादि–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (विपत्र कोड–20एस 2210–01–001–94–00–07–59)
2	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–94–पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रिंट, प्रचार, संगोष्ठी, कार्यशाला इत्यादि–07–अन्य व्यय– 59–अन्य व्यय (विपत्र क्रोड–20एस 2210–01–796–94–00–07–59)

6. आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची होंगे, जो राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखण्ड, राँची के पी०एल० खाता में स्थानांतरित करेंगे।

7. इस राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जाएगी।

9. यह चालू योजना है। अतएव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 की कंडिका 9 के आलोक में स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

10. इस स्वीकृत राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

11. राशि की निकासी वित्त विभाग परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–1800 दिनांक–15.07.03 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव
11(5) 26.
11-5-26

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र / व्यय प्रतिवेदन ससमय महालेखाकार कार्यालय एवं विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

13. इस योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची एवं निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड द्वारा विभाग को प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक समर्पित किया जाएगा।

14. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

15. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–5 / पी०(नई यो०)–19 / 2022....11(5) यो.. दिनांक–....11/05/2026

प्रतिलिपिः

1. सभी उपायुक्त, झारखण्ड।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
3. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
4. आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची
5. सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, झारखण्ड।
6. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची।
7. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
8. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

11(5) यो.

11/05/2026